

न्यायालय जिला कलक्टर भरतपुर


क्रमांक /कोर्ट / 2025 / 852

दिनांक 26/9/25

श्री बच्चू सिंह
निवासी ग्राम तिलचिवी
पोस्ट हलैना तहसील वैर
जिला भरतपुर
मो न0 7375995599

विषय:-अपील संख्या 55/2025 अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 उनवानी श्री नीरज कुमार जैन बनाम लो.सू. अधिकारी उपखण्ड अधिकारी वैर में निर्णय की प्रति भिजवाने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील में निर्णय दिनांक 19.09.2025 की छायाप्रति संलग्न कर सूचनार्थ प्रेषित है।
संलग्न:- निर्णय प्रति

आज्ञा से

रीडर
जिला कलक्टर,
भरतपुर

फर्द अहकाम
 अज अदालत-न्यायालय जिला कलक्टर-मुकाम-भरतपुर
 बच्चू सिंह बनाम लो.सू.अधि. उपखण्ड अधिकारी वैर
 किस्म मुकदमा अपील RTI नम्बर 55 सन् 2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इन्वियशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये
04.09.2025	<p>सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलान्ट बच्चू सिंह निवासी ग्राम तिलचिवी पोस्ट हलैना तहसील वैर, जिला भरतपुर की अपील ऑनलाईन अपील संख्या 060584445647995 से लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी वैर के खिलाफ प्राप्त हुई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। अपील की प्रति उपखण्ड अधिकारी वैर को प्रेषित कर अपील पर रिपोर्ट तलब की जावे। यदि प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करा दी गई हो तो प्राप्ति रसीद मंगाई जावे। पत्रावली दिनांक 19.09.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">जिला कलक्टर भरतपुर</p> <p>19/9/25 पत्रावली आज पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी से कोई जबाब प्राप्त नहीं हुआ है। अस्तु अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। विस्तृत निवेदन प्रत्येक से लिखा जाकर शामिल मिलित किया गया। पत्रावली फेसल नुमा है बाद कार्यवाही दोखिल दफतर है।</p> <p style="text-align: right;">जिला कलक्टर भरतपुर</p>	<p>770 4/9/25 फर्द</p>

कार्यालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील/आरटीआई/55/2025

श्री बच्चू सिंह निवासी ग्राम तिलचिवी पोस्ट हलैना तहसील वैर जिला भरतपुर
पिन कोड 321601 मो. नं. 7375995599

.....अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्डाधिकारी वैर

.....रेस्पोंड

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश

दिनांक 19.09.2025

अपीलार्थी श्री बच्चू सिंह निवासी ग्राम तिलचिवी पोस्ट हलैना तहसील वैर जिला भरतपुर राज0 की सूचना का अधिकार का अधिनियम 2005 के अन्तर्गत ऑनलाईन अपील सं0 060584445647995 इस आशय की प्राप्त हुई है कि प्रार्थी/अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ऑनलाईन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर लोक सूचना अधिकारी, से सूचना चाही गई थी। लोक सूचना अधिकारी, द्वारा प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। पत्रावली एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदि का अवलोकन किया गया। चाही गई सूचना उपखण्डाधिकारी वैर से सम्बन्धित होने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक/कोर्ट/25/770 दिनांक 04.09.2025 के द्वारा अपील की प्रति भेजते हुये लोक सूचना अधिकारी, एवं उपखण्डाधिकारी वैर से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्डाधिकारी वैर से कोई जबाब प्राप्त नहीं हुआ है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी, उपखण्डाधिकारी वैर से कोई प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं होना यह स्पष्ट करता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना, लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है, यानि लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर सूचना लम्बित है। ऐसी स्थिति में अपील स्वीकार किया जाना उचित पाते हैं।


अस्तु अपील अपीलान्त स्वीकार की जाती है। लोक सूचना अधिकारी उपखण्डाधिकारी वैर को निर्देशित किया जाता है कि वे राजस्थान सूचना का

जिला कलक्टर
भरतपुर

(2)

अपील/आरटीआई/55/2025
बच्चू सिंह बनाम लो.सू.अ. उपखण्डाधिकारी वैर

अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8, 9 एवं 11 के तहत बाध्यकारी प्रावधानों को मध्यनजर रखते हुये अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना नियमानुसार उपलब्ध करावें। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भेजी जावे। साथ ही आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी उपखण्डाधिकारी वैर को भी प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।


(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर
भरतपुर